शादी के बाद!

सैयद अहमद उरूज क़ादरी (रह०)
अनुवाद
अशरफ़ अली "मुजाहिद"
पुनरीक्षण
नसीम ग़ाज़ी फ़लाही

विषय-सूची

विषय	पृ॰ सं॰
दो शब्द	5
मियाँ-बीवी के ताल्लुक़ात के आदाब नबी *(सल्ल.)* की हदीसों की रौशनी में	7
पहली मुलाक़ात	7
बीवी के सिर पर हाथ रखकर दुआ	8
मियाँ-बीवी दो रकअत नफ़्ल नमाज़ पढ़ें	8
मुबाशरत (सहवास) से पहले दुआ	9
जिमाअ (सहवास) कहाँ और किस तरह?	9
पिछले हिस्से में जिमाअ (सहवास) करना हराम है	10
हैज़ की हालत में जिमाअ हराम है	11
हैज़ की हालत में जिमाअ (सहवास) कर लेने का कफ़्फ़ारा	12
हैज़ बन्द होने के बाद कब जिमाअ जाइज़ होगा?	12
दो जिमाओं के बीच ग़ुस्ल या वुज़ू	13
शौहर और बीवी का एक ही जगह ग़ुस्ल करना	13
जनाबत (नापाकी) की हालत में सोने से पहले वुज़ू या तयम्मुम	14
जिमाअ (सहवास) और उसका सवाब	15
सुहागरात की सुबह को क्या करे?	15
जिमाअ (सहवास) की पोशीदा बातें दूसरों से कहना हराम है	16
दुल्हा और दुल्हन के लिए दुआ	17
वलीमा वाजिब है	18
वलीमे में गोश्त-रोटी ज़रूरी नहीं है	19

वलीमे के लिए दूसरे लोगों की मदद लेना	20
वलीमे में सिर्फ़ अमीर लोगों को बुलाना जाइज़ नहीं है	21
दावत क़बूल करना वाजिब है	21
दावत देनेवाले का दिल रखने के लिए इफ़्तार	22
जिस दावत में गुनाह के काम हों, उसमें शरीक होना जाइज़ नहीं	23
दावत देनेवाले के लिए दुआ	24
नबी की सुन्नत और इस्लामी शरीअत की मुख़ालिफ़त से बचना ज़रूरी है	27
बीवी के साथ अच्छा सुलूक वाजिब है	28
कुछ नसीहतें	30

'बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम'
"अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहमवाला है।"

दो शब्द

यह छोटी सी किताब इस्लाम के एक बड़े आलिम मौलाना सैयद अहमद उरूज क़ादरी *(रह.)* (1911-1986 ई.) की उर्दू किताब "आदाबे-इज़दिवाज, नबी *(सल्ल.)* की हदीसों की रौशनी में" का हिन्दी तर्जमा है। यह किताब उर्दू में कई साल पहले प्रकाशित हुई थी। किसी समाज की तामीर में ख़ानदान का रोल क्या होता है और शादी-ब्याह की अहमियत इस्लाम में क्या है? इस पर रौशनी डालते हुए मौलाना ख़ुद लिखते हैं–

"हर पढ़ा-लिखा आदमी, बल्कि हर बालिग़ इनसान, यह जानता है कि किसी समाज के निर्माण में हर ख़ानदान एक ईंट की हैसियत रखता है और ख़ानदानों के समूह का नाम ही समाज है। ये ईंटें जितनी आपस में जुड़ी हुई और मज़बूत होंगी वह समाज उतना ही मज़बूत और पायदार होगा और ये ईंटें जितनी ढीली, अलग-अलग और कमज़ोर होंगी, वह समाज उतना ही कमज़ोर और नापायदार होगा। यह बात भी मालूम है कि एक सभ्य इनसानी ख़ानदान एक मर्द और एक औरत के जाइज़ मिलाप से वुजूद में आता है, जिसका ज़रीआ निकाह या शादी है। इस तरह हर सभ्य समाज में निकाह और शादी को जो अहमियत हासिल है उसपर रौशनी डालने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक एक इस्लामी समाज और इस्लामी ख़ानदान का ताल्लुक़ है, उसमें निकाह को नबियों की सुन्नत (तरीक़ा) और सही मानों में एक तरह की इबादत समझा जाता है। यह बात भी छिपी नहीं है कि निकाह के ज़रीए से एक बालिग़ मर्द और बालिग़ औरत के मिलाप की पहली रात जिसको सुहागरात कहते हैं, बड़ी जज़्बाती, आनन्ददायक और नशीली होती है। इस नशीली रात में अपने जज़्बात पर क़ाबू रखना और शरीअत (दीन) की बताई हुई हदों से बाहर न निकलना कोई आसान काम नहीं है।

इस्लामी तालीमात ने इस बेहद जज़्बाती रात में भी ख़ुदा का ज़िक्र करने और दुआ माँगने की हिदायत दी।

मुसलमानों के मौजूदा समाज में आम लोग जिस तरह निकाह, तलाक़, ख़ुला और इन जैसे अहकाम के बारे में जानकारी नहीं रखते उसी तरह वे यह भी नहीं जानते कि शादी के बाद बीवी के साथ पहली रात कैसे गुज़ारी जाए और उन्हें यह भी नहीं मालूम कि सुहागरात के बाद शरीअत का हुक्म क्या है? इसकी वजह यह है कि जाननेवालों ने उन्हें इस तरह की बातें बताने और सिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं समझी। हालाँकि अल्लाह के आख़िरी रसूल मुहम्मद *(सल्ल.)* ने अपने सहाबा को सुहागरात और उसके बाद के अहकाम और आदाब की तालीम भी दी है।"

हम जानते हैं कि इस्लाम इनसान की पूरी ज़िन्दगी के लिए हिदायत देता है और अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने भी अल्लाह की हिदायत के मुताबिक़ इनसानों की रहनुमाई की है। नबी *(सल्ल.)* की हैसियत हमारे लिए शिक्षक की भी है। यही वजह है कि आप *(सल्ल.)* ने बिलकुल निजी और प्राइवेट बातों के बारे में भी तालीम दी है। आप *(सल्ल.)* ने यह तालीम बड़े ही सलीक़े और शरीफ़ाना अन्दाज़ में दी है। आप *(सल्ल.)* ने अपनी पाक बीवियों को तालीम-व-तरबियत देकर इस बात के लिए तैयार किया कि वे आम औरतों की, ख़ासकर निजी और प्राइवेट बातों में, रहनुमाई कर सकें। उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह निभाया। अल्लाह उनसे राज़ी हो! अब यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने हर मामले में नबी *(सल्ल.)* से हिदायत हासिल करें।

इस्लामी साहित्य ट्रस्ट (रजि.) हिन्दी ज़बान में इस्लाम से सम्बन्धित किताबें तैयार करने के काम में लगा हुआ है। हिन्दी ज़बान में यह किताब प्रकाशित करके हमें बेहद ख़ुशी हो रही है। हमारी कोशिश और दुआ है कि हमारी नई नस्ल इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। आमीन!

—नसीम ग़ाज़ी फ़लाही

अध्यक्ष

इस्लामी साहित्य ट्रस्ट

(दिल्ली)

मियाँ-बीवी के ताल्लुक़ात के आदाब

नबी *(सल्ल॰)* की हदीसों की रौशनी में

पहली मुलाक़ात

शौहर के लिए यह बेहतर और पसन्दीदा बात यह है कि जब नई-नवेली दुल्हन से उसकी पहली मुलाक़ात हो तो प्यार और मुहब्बत की कोई मुनासिब शक्ल इख़्तियार करे। जैसे अपने हाथ से उसे दूध का प्याला या शर्बत का गिलास पेश करे। मदीना में जब नबी *(सल्ल॰)* अपनी बीवी हज़रत आइशा *(रज़ि॰)* से पहली रात को मुलाक़ात के लिए गए तो उस मुलाक़ात का हाल हदीसों में इस तरह बयान किया गया है—

हज़रत असमा-बिन्ते-यज़ीद ने कहा कि मैंने आइशा *(रज़ि॰)* को अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* के लिए सजाया-सँवारा, फिर मैं आप *(सल्ल॰)* के पास गई और आपको उस कमरे में बुलाया। आप *(सल्ल॰)* तशरीफ़ लाए और हज़रत आइशा *(रज़ि॰)* के पास बैठ गए। इसके बाद दूध से भरा एक बड़ा प्याला लाया गया। आप *(सल्ल॰)* ने उसमें से कुछ पीकर हज़रत आइशा *(रज़ि॰)* की तरफ़ बढ़ा दिया। उन्होंने अपना सिर कुछ और झुका लिया और शर्माने लगीं। मैंने उनसे सख़्ती के साथ कहा कि नबी *(सल्ल॰)* के मुबारक हाथ से प्याला ले लो। उन्होंने प्याला ले लिया और थोड़ा सा दूध पी लिया। इसके बाद नबी *(सल्ल॰)* ने उनसे फ़रमाया कि अब यह प्याला अपनी सहेली को दे दो। असमा *(रज़ि॰)* कहती हैं कि मैंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! आप प्याला दोबारा ख़ुद ले लें, उसमें से कुछ और पी लें और अपने मुबारक हाथों से मुझे दें। आप *(सल्ल॰)* ने ऐसा ही किया। वे कहती हैं कि प्याला मैंने आपके हाथ से लिया, फिर बैठकर उसको अपने घुटने पर रखा और उधर घुमाया जिधर से आप *(सल्ल॰)* ने उसमें से दूध पिया था, उसी तरफ़ से मैंने भी कुछ दूध पिया। मेरे पास कुछ दूसरी औरतें भी बैठी थीं। आप *(सल्ल॰)* ने फ़रमाया कि यह प्याला इन औरतों को दे दो। औरतों ने कहा कि हमें इसकी ख़ाहिश नहीं है। आप *(सल्ल॰)* ने फ़रमाया कि भूख और झूठ को इकट्ठा न करो।

(हदीस : मुसनद अहमद, अबू-दाऊद)

कुछ दूसरी रिवायतों में है कि नबी *(सल्ल.)* के कहने के बाद उन औरतों ने प्याला ले लिया और सबने दूध पिया।

बीवी के सिर पर हाथ रखकर दुआ

बेहतर है कि शौहर, बीवी के सिर पर हाथ रखकर, अल्लाह से भलाई और बरकत की दुआ करे। नबी *(सल्ल.)* ने फ़रमाया—

जब तुममें से कोई शख़्स किसी औरत से शादी करे तो उसकी पेशानी के बालों पर हाथ रखकर अल्लाह तआला का नाम ले और बरकत की यह दुआ करे—

अल्ला-हुम-म इन्नी अस-अलु-क ख़ै-रहा व ख़ै-र मा जबल-तहा अलैहि व अऊज़ुबि-क मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबल-तहा अलैहि।

(हदीस : अबू-दाऊद, मुअत्ता मालिक)

"ऐ अल्लाह! इसकी भलाई और उस ख़ैर का तुझसे चाहनेवाला हूँ जिसपर तूने इसको पैदा किया है और इसकी बुराई और उस बुराई से पनाह माँगता हूँ जिसपर तूने इसको बनाया है।"

मियाँ-बीवी दो रकअत नफ़्ल नमाज़ पढ़ें

अबू-उसैद *(रज़ि.)* के आज़ाद किए हुए ग़ुलाम अबू-सईद *(रज़ि.)* से रिवायत है, उन्होंने कहा कि ग़ुलामी की हालत में मैंने शादी की और मुहम्मद *(सल्ल.)* के साथियों में से कुछ लोगों को बुलाया जिनमें अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद, अबू-ज़र और हुज़ैफ़ा *(रज़ि.)* भी थे। नमाज़ का समय हुआ तो अबू-ज़र ने आगे बढ़कर नमाज़ की इमामत करनी चाही तो दूसरे सहाबा ने मुझसे कहा कि तुम खुद इमामत करो। मैंने इमामत की। नमाज़ के बाद उन्होंने मुझे यह तालीम दी कि जब तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास आए तो तुम दो रकअत नफ़्ल पढ़कर अल्लाह से उसकी ख़ैर (भलाई) तलब करो और उसके शर (बुराई) से पनाह माँगो। उसके बाद अपनी बीवी के क़रीब जाओ। (लेखक अबू-बक्र-बिन-शेबा)

शफ़ीक़ से रिवायत है कि एक शख़्स अबू-हरीज़ आए और उन्होंने कहा कि मैंने एक जवान कुँवारी लड़की से शादी की है और मुझे डर है

कि कहीं वह मुझसे नफ़रत न करे। यह सुनकर अब्दुल्लाह-बिन-मसऊद ने कहा, उलफ़त और मुहब्बत अल्लाह की तरफ़ से है और नफ़रत और ईर्ष्या शैतान की तरफ़ से। जिस चीज़ को अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है वह (यानी शैतान) तुम्हें उससे नफ़रत दिलाना चाहता है। इसलिए जब औरत घर में आए तो तुम उसे हुक्म दो कि वह तुम्हारी इमामत में तुम्हारे पीछे दो रकअत नफ़्ल नमाज़ अदा करे। उसके बाद यह दुआ माँगो—

"ऐ अल्लाह! तू मेरी बीवी को मेरे लिए बरकतवाली बना और मुझे उसके लिए मुबारक बना और जब तक तू हमें एक-दूसरे के साथ रखे, ख़ैर (भलाई) पर एक साथ रख और अगर अलगाव हो तो ख़ैर पर अलगाव हो।" (तबरानी)

मुबाशरत (सहवास) से पहले दुआ

मुबाशरत (सहवास) से पहले दुआ की तालीम दी गई है। नबी *(सल्ल.)* ने फ़रमाया, "जब तुममें से कोई शख़्स अपनी बीवी से मुबाशरत करना चाहे तो यह दुआ पढ़े—

बिसमिल्लाहि अल्ला-हुम-म जन्निब-नश-शैता-न व जन्निबिश्-शैता-न मा-रज़क़्-ना।

(तबरानी, बुख़ारी, अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी)

"अल्लाह के नाम से, ऐ अल्लाह हमें शैतान से अलग रख और जो रिज़्क़ (औलाद) तू हमें दे, उसे भी शैतान से बचा।"

नबी *(सल्ल.)* ने फ़रमाया कि अगर उस मुबाशरत से कोई औलाद हुई तो शैतान कभी उसको नुक़सान नहीं पहुँचाएगा।

जिमाअ (सहवास) कहाँ और किस तरह?

हज़रत ज़ाबिर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि यहूदी यह कहा करते थे कि अगर कोई शख़्स अपनी बीवी की पीठ की तरफ़ से उसके अगले हिस्से में जिमाअ करे तो बच्चा भेंगा होगा। इसपर यह आयत नाज़िल हुई—

"तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती हैं। तुम जिस तरह चाहो अपनी खेती में आओ।" (क़ुरआन, 2 : 223)

अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा—

"जिमाअ केवल अगले हिस्से में होना चाहिए, चाहे आगे की तरफ़ से हो या पीछे की तरफ़ से।" (हदीस : बुख़ारी, मुसलिम)

पिछले हिस्से में जिमाअ (सहवास) करना हराम है

औरत के पिछले हिस्से में लिंग दाख़िल करना हराम है। ऊपर जो कुछ लिखा गया है उससे भी यह बात साबित होती है। इसके अलावा मुहम्मद *(सल्ल.)* ने खुलकर इस बुरे काम से मना किया है।

हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-अब्बास *(रज़ि.)* से रिवायत है कि उमर-बिन-ख़त्ताब *(रज़ि.)* मुहम्मद *(सल्ल.)* के पास आए और कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल! मैं तो तबाह हो गया।" आपने फ़रमाया, "किस चीज़ ने तुझे तबाह किया?" उन्होंने इशारे में यह कहा कि आज रात मैंने अपने कजावे को उलट दिया (यह इशारा था बीवी की पीठ की तरफ़ से सम्भोग करने का)। आप *(सल्ल.)* ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद यह आयत नाज़िल हुई—

"तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं। तुम्हें इख़तियार है जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ।"

कहते हैं कि आगे या पीछे जिस तरफ़ से भी चाहो जिमाअ करो लेकिन दुबुर यानी पिछले हिस्से और हैज़ (मासिक धर्म) की हालत में जिमाअ करने से बचो करो। (हदीस : नसई, तिर्मिज़ी, तबरानी)

हज़रत ख़ज़ैमा-बिन-साबित *(रज़ि.)* से एक लम्बी हदीस रिवायत है, उसके आख़िर में है कि मुहम्मद *(सल्ल.)* ने फ़रमाया—

"औरतों के पिछले हिस्से में जिमाअ न करो।"

(हदीस : नसई, बैहक़ी)

"जो आदमी अपनी बीवी के पिछले हिस्से में जिमाअ करता है अल्लाह उसको नज़रे-करम से नहीं देखेगा।"

(हदीस : नसई, तिर्मिज़ी)

"जो लोग अपनी बीवियों के पिछले हिस्से में जिमाअ (संभोग) करते हैं वे मलऊन (लानत किए-हुए) हैं।"

(हदीस : अबू-दाऊद, अहमद)

हैज़ की हालत में जिमाअ हराम है

यह मनाही साफ़-साफ़ क़ुरआन मजीद की एक आयत में लिखी हुई है, जिसका तर्जुमा है—

"और तुमसे हैज़ (मासिक धर्म) के बारे में पूछते हैं, कह दो— वह तो गन्दगी (अशुद्धता) है, अतः हैज़ के दिनों में औरतों से अलग रहो और जब तक वे पाक न हो जाएँ उनसे जिमाअ (सम्भोग) न करो। हाँ जब वे पाक हो जाएँ तो जिस तरीक़े से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है, उनके पास जाओ। बेशक अल्लाह तौबा करनेवालों और पाकी इख़्तियार करनेवालों को दोस्त रखता है।" (क़ुरआन, 2 : 222)

नबी *(सल्ल.)* फ़रमाते हैं—

"जो व्यक्ति हैज़ की हालत में बीवी से जिमाअ करे या उसके पिछले हिस्से में उससे जिमाअ करे— या किसी काहिन (ज्योतिषि) के पास जाए और जो कुछ वह कहे उसे सच जाने तो उसने मुहम्मद पर जो कुछ नाज़िल किया गया है, उससे इनकार किया।" (हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्ने-माजा)

अनस-बिन-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि यहूदियों का तरीक़ा यह था कि जब औरत को हैज़ आता तो वे उसे घर से निकाल देते, उसके साथ खाना-पीना और रहना छोड़ देते। अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* से इसके बारे में पूछा गया तो सूरा अल-बक़रा की वह आयत नाज़िल हुई जिसका तर्जमा ऊपर गुज़र चुका है। इस आयत की व्याख्या में नबी *(सल्ल.)* ने फ़रमाया—

"उनके साथ घर में रहो और सब कुछ करो अलबत्ता जिमाअ न करो।" (हदीस : मुसलिम, अबू-दाऊद)

उनके साथ खाना-पीना, एक बिस्तर पर सोना, उनको छूना, सब कुछ जाइज़ है सिवाए जिमाअ (सहवास) के।

हैज़ की हालत में जिमाअ (सहवास) कर लेने का कफ़्फ़ारा

"अगर कभी किसी आदमी से कामेच्छा की उत्तेजना (नफ़्सानी जोश) की वजह से यह गुनाह हो जाए तो उसे एक दीनार या आधा दीनार सदक़ा करना चाहिए।" (हदीस : तबरानी)

अबू-हनीफ़ा *(रह.)*, मालिक *(रह.)* और शाफ़ई *(रह.)* के नज़दीक कफ़्फ़ारा देना वाजिब नहीं। अलबत्ता इस्तिग़फ़ार यानी ख़ुदा से माफ़ी माँगना वाजिब है। इमाम अहमद *(रह.)* का कहना है कि कफ़्फ़ारा अदा करे। अगर एक दीनार अदा न कर सके तो आधा दीनार अदा करे।

हैज़ बन्द होने के बाद कब जिमाअ जाइज़ होगा?

हैज़ का ख़ून बन्द हो जाने के बाद अगर औरत अपनी शर्मगाह धो डाले या वुज़ू कर ले या ग़ुस्ल कर ले तो उससे जिमाअ जाइज़ होगा। क्योंकि क़ुरआन में तहारत (पाकी) का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है और इन तीनों हालतों में तहारत हासिल हो जाती है।

इस मसले में फ़िक़्ह के इमामों का आपस में इख़्तिलाफ़ है। नासिरुद्दीन अलबानी ने इब्ने-हज़म के मसलक को तरजीह दी है। तीनों इमामों, मालिक *(रह.)*, शाफ़ई *(रह.)*, अहमद *(रह.)*, के नज़दीक जब तक औरत ग़ुस्ल न कर ले या मजबूरी की वजह से ग़ुस्ल न कर सकने की हालत में जब तक तयम्मुम न करे उससे जिमाअ जाइज़ नहीं है। इमाम अबू-हनीफ़ा *(रह.)* के मसलक में हैज़ की कम से कम मुद्दत (अवधि) तीन दिन और ज़्यादा से ज़्यादा दस दिन है। अब अगर ख़ून दस दिन से कम में बन्द हो जाए तो औरत से जिमाअ उस हालत में जाइज़ होगा, जब वह ग़ुस्ल कर ले या एक फ़र्ज़ नमाज़ का समय बीत जाए। और अगर ख़ून पूरे दस दिनों के बाद बन्द हो तो ग़ुस्ल से पहले ही उससे जिमाअ जाइज़ होगा। लेकिन बेहतर यह है कि औरत के ग़ुस्ल कर लेने के बाद ही उससे जिमाअ करे।

दो जिमाओं के बीच ग़ुस्ल या वुज़ू

अल्लाह के नबी मुहम्मद *(सल्ल॰)* ने दो जिमाओं के बीच ग़ुस्ल किया है। अबू-राफ़े *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि नबी *(सल्ल॰)* ने एक दिन अपनी बीवियों के साथ जिमाअ किया और हर बीवी के यहाँ ग़ुस्ल किया। अबू-राफ़ेअ *(रज़ि॰)* कहते हैं कि मैंने पूछा, "ऐ अल्लाह के रसूल! आपने हर जगह अलग-अलग क्यों ग़ुस्ल किया? एक बार ग़ुस्ल कर लेते।" आपने फ़रमाया–

"मैंने जो कुछ किया वह बेहतर और पाकीज़ा है।"

(हदीस : अबू-दाऊद, नसई)

इससे मालूम हुआ कि अगर कोई शख़्स एक दिन या एक रात में अपनी बीवी से दोबारा जिमाअ करना चाहे तो दोनों के बीच ग़ुस्ल कर लेना ज़्यादा अच्छा है। दो जिमाओं के बीच वुज़ू करने की आप *(सल्ल॰)* ने सहाबा को तालीम दी है–

"जब तुममें से कोई शख़्स अपनी बीवी से जिमाअ करे और फिर दोबारा ऐसा करना चाहे तो उसे चाहिए कि बीच में वुज़ू करे।" (हदीस : मुसलिम, अबू-दाऊद, अहमद)

शौहर और बीवी का एक ही जगह ग़ुस्ल करना

अगर शौहर-बीवी एक साथ ग़ुस्ल करें तो यह जाइज़ है। हज़रत आइशा *(रज़ि॰)* फ़रमाती हैं–

"मैं और नबी *(सल्ल॰)* एक बर्तन से एक साथ ग़ुस्ल करते थे। आप *(सल्ल॰)* जल्दी-जल्दी पानी लेने लगते तो मैं कहती कि मेरे लिए भी छोड़ दीजिए! मेरे लिए भी छोड़ दीजिए।"

(हदीस : बुख़ारी, मुसलिम)

जनाबत (नापाकी) की हालत में सोने से पहले वुज़ू या तयम्मुम

जनाबत (नापाकी) की हालत में सोने से पहले वुज़ू कर लेना अच्छा है। नबी *(सल्ल.)* कभी वुज़ू करके सोते थे और कभी वुज़ू किए बिना भी सोते थे। हज़रत आइशा *(रज़ि.)* फ़रमाती हैं—

> "जनाबत (नापाकी) की हालत में नबी *(सल्ल.)* जब सोने का इरादा करते तो जिस्म के अगले हिस्से को धोकर इस तरह वुज़ू कर लेते जिस तरह नमाज़ के लिए करते थे।"

(हदीस : बुख़ारी, मुसलिम)

हज़रत आइशा *(रज़ि.)* ही की दूसरी रिवायत यह है—

> "जनाबत (नापाकी) की हालत में आप (सल्ल.) बिना वुज़ू किए सो रहते, फिर जागकर ग़ुस्ल करते थे।"

(हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्ने-माजा)

एक बार हज़रत अब्दुल्लाह-बिन-उमर *(रज़ि.)* ने नबी *(सल्ल.)* से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हममें से कोई शख़्स जनाबत (नापाकी) की हालत में सो सकता है? आप *(सल्ल.)* ने फ़रमाया—

> "हाँ, जब वुज़ू कर ले," और एक रिवायत में जवाब इस तरह है, "हाँ, और वुज़ू कर ले अगर चाहे।"

(हदीस : अबू-दाऊद, मुसलिम)

हज़रत आइशा *(रज़ि.)* ही की एक रिवायत से मालूम होता है कि ज़्यादातर नबी *(सल्ल.)* का अमल यह था कि जनाबत (नापाकी) की हालत में सोने से पहले अगर ग़ुस्ल न करते तो वुज़ू कर लेते।

अब्दुल्लाह-बिन-क़ैस ने कहा कि मैंने हज़रत आइशा *(रज़ि.)* से पूछा, "जनाबत (नापाकी) की हालत में अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* क्या करते थे? क्या आप सोने से पहले ग़ुस्ल करते थे या बिना ग़ुस्ल किए सो रहते थे?" उन्होंने कहा, "कभी-कभी आप *(सल्ल.)* ग़ुस्ल करके सोते

और कभी-कभी सिर्फ़ वुज़ू करके सो रहते थे।" मैंने कहा–

"अलहम्दुलिल्लाह (अल्लाह का शुक्र है) कि इस मामले में गुंजाइश और कुशादगी है।" (हदीस : मुसलिम, अहमद)

कभी-कभी वुज़ू के बदले में तयम्मुम कर लेना भी जाइज़ है। हज़रत आइशा *(रज़ि.)* की एक हदीस में है कि–

"अल्लाह के नबी *(सल्ल.)* जनाबत (नापाकी) की हालत में सोने से पहले वुज़ू या तयम्मुम कर लेते।" (हदीस : बैहक़ी)

जिमाअ (सहवास) और उसका सवाब

मोमिन जब अल्लाह तआला का फ़रमाँबरदार बन्दा बनकर ज़िन्दगी गुज़ारता है तो इस्लाम के मुताबिक़ उसका खाना-पीना, सोना-जागना यहाँ तक कि बीवी के पास जाना भी अज्र (सवाब, इनाम) का ज़रीआ बन जाता है। एक हदीस में आता है कि–

नबी *(सल्ल.)* ने फ़रमाया, "तुम लोग जो अपनी बीवियों के पास जाते हो, यह भी सवाब का ज़रीआ है। सहाबा ने पूछा, "ऐ अल्लाह के रसूल! हममें से कोई शख़्स अपनी कामेच्छा (ख़ाहिशे-नफ़्स) पूरी करता है तो क्या इसमें उसको अज्र मिलेगा? आप (सल्ल.) ने फ़रमाया, "तुम्हारा क्या ख़याल है अगर वह अपनी ख़ाहिश हराम तरीक़े से पूरी करे तो गुनाह होगा या नहीं?" सहाबा ने जवाब दिया, "हाँ, गुनाह तो होगा।" आप *(सल्ल.)* ने फ़रमाया, "तो उसी तरह जब वह हलाल तरीक़े से अपनी ख़ाहिश पूरी करे तो उसपर सवाब मिलेगा।" (हदीस : मुसलिम, अहमद, नसई)

सुहागरात की सुबह को क्या करे?

सुहागरात की सुबह को बेहतर यह है कि घर में जो रिश्तेदार आए हों उनको सलाम और उनके लिए दुआ करे और रिश्तेदार उसके सलाम का जवाब दें और उसके लिए दुआ करें। हज़रत अनस *(रज़ि.)* से

रिवायत है—

> "नबी *(सल्ल॰)* ने हज़रत ज़ैनब *(रज़ि॰)* के पास पहली रात गुज़ारी तो वलीमे में सहाबा को रोटी-गोश्त खिलाया। फिर उसके बाद दूसरी बीवियों के पास तशरीफ़ ले गए, उनको सलाम किया और उनके लिए दुआ की। जवाब में उन्होंने भी आपको सलाम किया और आपके लिए दुआ की। नबी *(सल्ल॰)* सुहागरात की सुबह को इसी तरीक़े पर अमल फ़रमाते थे।" (हदीस : नसई)

जिमाअ (सहवास) की पोशीदा बातें दूसरों से कहना हराम है

शौहर और बीवी दोनों के लिए हराम है कि वे जिमाअ (सहवास) की पोशीदा बातों का प्रचार करें। ऐसा करना बेशर्मी और जाहिलाना तरीक़ा है। इसकी मनाही के बारे में दो हदीसें रिवायत की जाती हैं। नबी *(सल्ल॰)* ने फ़रमाया—

> "वह मर्द क़ियामत के दिन अल्लाह के नज़दीक बहुत ही नीचे दर्जे के लोगों में होगा जो अपनी बीवी से सोहबत करता है और फिर अपनी बीवी की राज़ की बातें दूसरों से कहता है।"

(हदीस : मुसलिम, अहमद, बैहक़ी)

असमा-बिन्ते-यज़ीद से रिवायत है, वे कहती हैं कि मैं मुहम्मद *(सल्ल॰)* की ख़िदमत में हाज़िर थी और कुछ दूसरी औरतें और मर्द भी हाज़िर थे। आप *(सल्ल॰)* ने पूछा, "क्या ऐसा होता है कि कोई मर्द अपनी बीवी से सोहबत का हाल दूसरे मर्दों से कहता हो और कोई औरत उसका हाल दूसरी औरतों से कहती हो?"

> नबी *(सल्ल॰)* का यह सवाल सुनकर सब लोग चुप रहे तो मैंने कहा, "हाँ, ख़ुदा की क़सम, ऐ अल्लाह के रसूल! मर्द भी ऐसा करते हैं और औरतें भी ऐसा करती हैं।" आप (सल्ल॰) ने कहा— "यह काम न करो, यह तो ऐसा है जैसे कोई शैतान मर्द किसी शैतान औरत से रास्ते में मुलाक़ात करे और

वहीं पर उससे सोहबत इस हालत में करे कि लोग उसको देख रहे हों।"
(हदीस : अहमद, अबू-दाऊद, बैहक़ी)

दुल्हा और दुल्हन के लिए दुआ

जब कोई शख़्स अपनी शादी की ख़बर दे या आदमी किसी की शादी के वक़्त मौजूद हो तो दुल्हा और दुल्हन को ख़ैर-व-बरकत की दुआ देनी चाहिए।

"हज़रत जाबिर-बिन-अब्दुल्लाह *(रज़ि॰)* ने जब मुहम्मद *(सल्ल॰)* को यह ख़बर दी कि उन्होंने शादी कर ली है तो आप *(सल्ल॰)* ने दुआ दी, 'बारकल्लाहु ल-क' यानी अल्लाह तुम्हें बरकत दे।"
(हदीस : बुख़ारी, मुसलिम)

हज़रत अली *(रज़ि॰)* की हज़रत फ़ातिमा *(रज़ि॰)* से शादी हुई तो मुहम्मद *(सल्ल॰)* उन दोनों की सुहागरात में हज़रत अली *(रज़ि॰)* के घर गए और पानी मँगवाया। उससे वुज़ू किया और वुज़ू का पानी हज़रत अली *(रज़ि॰)* पर डालकर दुआ की—

"अल्लाहुम-म बारिक फ़ीहिमा व बारिक लहुमा फ़ी बिना-इहिमा।"

"ऐ अल्लाह! इनके ताल्लुक़ात में बरकत दे और इनकी सुहागरात को इनके लिए मुबारक बना।"

(हदीस : इब्ने-साद, तबरानी, इब्ने-असाक़िर)

हज़रत आइशा *(रज़ि॰)* अपनी सुहागरात का हाल बयान करती हैं कि मेरी माँ मुझे एक कमरे में ले गईं। वहाँ अनसार की कुछ औरतें मौजूद थीं उन्होंने मुझे देखकर कहा—

अलल ख़ैरि वल ब-र-कति व अला ख़ैरिन ताइर।

"ख़ैर व बरकत और अच्छे नसीब पर।"

(हदीस : बुख़ारी, मुसलिम)

हज़रत अबू-हुरैरा *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि जब कोई शख़्स शादी करता तो नबी *(सल्ल॰)* उसको यह दुआ देते—

बा-रकल्लाहु ल-क व बा-रकल्लाहु अलै-क व जम-म-अ बै-न-कुमा अला ख़ैर।

"अल्लाह तुम्हें बरकत दे और अल्लाह तुमपर बरकत उतारे और तुम दोनों को भलाई के साथ जमा रखे।"

(हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी इब्ने-माजा, अहमद)

वलीमा वाजिब है

सुहागरात के बाद वलीमा करना ज़रूरी है क्योंकि नबी *(सल्ल॰)* ने हज़रत अब्दुर्रहमान-बिन-औफ़ *(रज़ि॰)* को इसका हुक्म दिया था।

हज़रत अनस *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि हज़रत अब्दुर्रहमान-बिन-औफ़ मक्का से हिजरत करके मदीना आए। अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने उनके और साद-बिन-रबीअ अनसारी के बीच भाईचारे का रिश्ता जोड़ दिया। उसके बाद साद उनको अपने घर ले गए। खाना मँगवाया, दोनों ने खाया। साद ने कहा, "मेरे भाई! अनसार में सबसे धनी व्यक्ति मैं हूँ, अब आप मेरे धन का अन्दाज़ा करके आधा धन ले लें। एक रिवायत में है कि उन्होंने कहा, "आइए मेरे बाग़ में चलिए, हम उसको आधा-आधा आपस में बाँट लें। और देखिए, मेरे पास दो बीवियाँ हैं, आप मेरे दीनी भाई हैं और आपके पास बीवी नहीं है। मेरी दो बीवियों में से जो आपको ज़्यादा पसन्द हो उसका नाम बताइए ताकि मैं आपके लिए उसको तलाक़ दे दूँ और जब इद्दत गुज़र जाए तो आप उससे निकाह कर लें।" अब्दुर्रहमान-बिन-औफ़ ने जवाब दिया, "नहीं, ख़ुदा की क़सम नहीं। अल्लाह तआला आपके परिवार और धन-दौलत में बरकत दे, मुझे तो बाज़ार का रास्ता बताइए।" लोगों ने उन्हें बाज़ार का रास्ता बता दिया। वे बाज़ार गए, कुछ ख़रीदा और बेचा और थोड़ा-सा मुनाफ़ा हासिल किया, फिर दूसरी सुबह को भी यही किया। वे कारोबार करते रहे, फिर एक दिन वे नबी *(सल्ल॰)* की ख़िदमत में आए तो उनके कपड़े पर ज़ाफ़रान का कुछ निशान मौजूद था। नबी *(सल्ल॰)* ने पूछा, "यह क्या है?" उन्होंने कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने एक अनसारी औरत से शादी कर ली है।" आपने पूछा, "मेहर में क्या दिया?" उन्होंने कहा,

"खजूर की एक गुठली के बराबर सोना।" आप *(सल्ल॰)* ने फ़रमाया, "अल्लाह तुम्हें बरकत दे। वलीमा करो, चाहे एक बकरी ही क्यों न हो।" अब्दुर्रहमान ने कहा, "फिर मैंने अपने आपको इस हाल में देखा कि अगर मैं कोई पत्थर उठाता तो मुझे उम्मीद होती कि इसके नीचे मुझे कुछ सोना मिलेगा या चाँदी मिलेगी।" (यह तिजारत में बेहद बरकत की एक उपमा है) हज़रत अनस *(रज़ि॰)* कहते हैं कि अब्दुर्रहमान-बिन-औफ़ के इन्तिक़ाल के बाद उनकी बीवियों में से हर बीवी को उनकी विरासत में से एक लाख दीनार मिले।"

(हदीस : सिहाहे-सित्ता)

बुरैदा-बिन-हसीब से रिवायत है कि जब हज़रत अली *(रज़ि॰)* ने हज़रत फ़ातिमा *(रज़ि॰)* के लिए पैग़ामे-निकाह भेजा तो नबी *(सल्ल॰)* ने फ़रमाया—

"हर शादी के लिए एक वलीमा ज़रूरी है।"

(हदीस : अहमद, तबरानी)

एक रिवायत में है कि जब हज़रत अली *(रज़ि॰)* की शादी हो गई तो अनसार की एक जमाअत ने वलीमे के लिए एक भेड़ और कुछ सेर मकई जमा करके हज़रत अली *(रज़ि॰)* को दिया ताकि वे अपनी शादी का वलीमा कर सकें।

वलीमा ज़्यादातर फ़ुक़हा के नज़दीक सुन्नत और कुछ के नज़दीक वाजिब है। शैख़ नासिरुद्दीन अलबानी ने वाजिब होने की राय को तरजीह दी है।

वलीमे में गोश्त-रोटी ज़रूरी नहीं है

नबी *(सल्ल॰)* के ज़माने में मुसलमान बहुत ज़्यादा मालदार नहीं थे। इसलिए उस समय गोश्त-रोटी बहुत अच्छा और मँहगा खाना समझा जाता था। यहाँ जो कुछ बताया जा रहा है वह यह है कि वलीमा सुन्नत है इसलिए इसको सुन्नत ही समझकर अंजाम देना चाहिए। हिन्दुस्तान के मुसलिम समाज में शादी की दावतों को बहुत ही ख़र्चीला बना दिया गया है। इसका नतीजा यह है कि बहुत-से लोग सिर्फ़ इसलिए वलीमा

नहीं करते कि वे पुलाव, क़ोरमा, गोश्त-रोटी या इस तरह के दूसरे खानों की दावत नहीं दे सकते और इससे कम की दावते-वलीमा को वे अपने वक़ार और इज़्ज़त के ख़िलाफ़ समझते हैं। इस सोच में सुधार होना चाहिए। दावते-वलीमा बिस्कुट और चाय पर भी हो सकती है और ऐसा करने से 'सुन्नत' के अदा होने में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा। नबी *(सल्ल॰)* ने सिर्फ़ हज़रत ज़ैनब बिन्ते-जहश से शादी के बाद सहाबा की गोश्त-रोटी की दावत की थी। वरना दूसरी बीवियों से शादी के बाद आप *(सल्ल॰)* ने इससे कम पर ही दावते-वलीमा दी थी। यहाँ तक कि एक बार आप *(सल्ल॰)* ने वलीमे में आधा साअ़ (एक तरह का पैमाना) जौ की रोटी खिलाई थी।

हज़रत अनस *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि—

> "मैंने नहीं देखा कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने अपनी किसी शादी पर वैसा वलीमा किया हो जैसा ज़ैनब *(रज़ि॰)* की शादी पर किया था। आप *(सल्ल॰)* ने एक बकरी ज़ब्ह की और सहाबा को रोटी-गोश्त खिलाया।" (हदीस : बुख़ारी, मुसलिम)

हज़रत अनस *(रज़ि॰)* ही की रिवायत है कि नबी *(सल्ल॰)* ने ख़ैबर और मदीना के बीच हज़रत सफ़ीया *(रज़ि॰)* के साथ पहली रात बसर की। उसके बाद सुबह को आप *(सल्ल॰)* ने सहाबा को हुक्म दिया कि चमड़े के दस्तरख़ान बिछाए जाएँ और जिसके पास जो खाना उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हो वह लाकर उस दस्तरख़ान पर जमा करे। इसपर सहाबा ने खजूरें, पनीर और घी लाकर जमा किया और फिर उसी का मलीदा बनाकर सब लोगों ने पेट भरकर खाया।

> सफ़ीया-बिन्ते-शैबा (रज़ि॰) कहती हैं कि "नबी (सल्ल॰) ने अपनी किसी बीवी से शादी के बाद आधा साअ जौ पर वलीमा किया।" (हदीस : मिशकात, बुख़ारी)

वलीमे के लिए दूसरे लोगों की मदद लेना

अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने जिस समाज की तामीर की थी उसमें सभी मुसलमान एक-दूसरे के मददगार थे और कोई मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाइयों की मदद क़बूल करके अपने को छोटा नहीं

समझता था, ऊपर इसकी दलीलें गुज़र चुकी हैं। हज़रत सफ़ीया *(रज़ि॰)* से शादी के बाद रसूल *(सल्ल॰)* ने जो दावते-वलीमा दी थी वह सहाबा की मदद से दी थी। इसी तरह हज़रत अली *(रज़ि॰)* ने हज़रत फ़ातिमा *(रज़ि॰)* से शादी के बाद जो वलीमा किया था वह अनसार क़बीले की एक जमाअत की मदद से किया था। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई मुसलमान शादी के बाद ख़ुद सुन्नते-वलीमा अदा न कर सकता हो तो दूसरे मालदार मुसलमानों को मुख़्लिसाना तौर पर उसकी मदद करनी चाहिए और ग़रीब मुसलमान अगर यह महसूस करे कि मदद मुख़्लिसाना है तो उसे चाहिए कि मदद क़बूल करके वलीमे की सुन्नत अदा करे। यह ज़रूरी नहीं है कि मदद खाने-पीने का सामान देकर ही की जाए बल्कि इसके लिए रुपये भी दिए जा सकते हैं।

वलीमे में सिर्फ़ अमीर लोगों को बुलाना जाइज़ नहीं है

दावते-वलीमा में ख़ासकर खाते-पीते लोगों को बुलाना और ग़रीब और मुहताज लोगों को भुला देना जाइज़ नहीं है। हज़रत अबू-हुरैरा *(रज़ि॰)* ने कहा कि रसूल *(सल्ल॰)* ने फ़रमाया—

> "वलीमे का वह खाना बदतरीन खाना है जिसमें धनी लोगों को बुलाया जाए और ग़रीब लोगों को छोड़ दिया जाए।"
>
> (हदीस : बुख़ारी, मुसलिम)

दावत क़बूल करना वाजिब है

अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को रिश्तेदारी या इस्लामी भाईचारे की वजह से खाने की दावत दे, चाहे वह वलीमा हो या और कोई दावत तो उसको क़बूल करना वाजिब है। इस सिलसिले में कई हदीसें हैं—

> "बेकुसूर क़ैदी की मदद करके उसको रिहा कराओ। दावत देनेवाले की दावत क़बूल करो और बीमार की अयादत करो।" (हदीस : बुख़ारी)

"जब तुममें से कोई शख़्स वलीमे के लिए बुलाया जाए तो उसमें उसको शरीक होना चाहिए।"

(हदीस : बुख़ारी, मुसलिम)

जिसने दावत-क़बूल नहीं की, उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी की।" (हदीस : बुख़ारी, मुसलिम)

रोज़े की हालत में भी दावत क़बूल करनी चाहिए, नबी *(सल्ल.)* ने फ़रमाया—

"जब तुम में से कोई शख़्स खाने पर बुलाया जाए तो उसको क़बूल करना चाहिए। यदि वह रोज़े से न हो तो खाने में शरीक हो या फिर दावत देनेवाले के लिए दुआ करे।"

(हदीस : मुसलिम, नसई)

दावत देनेवाले का दिल रखने के लिए इफ़्तार

कुछ हदीसों से पता चलता है कि यदि नफ़्ली रोज़ा हो तो दावत देनेवाले की ख़ातिर इफ़्तार किया जा सकता है। एक हदीस में है—

"जब तुममें से कोई शख़्स खाने पर बुलाया जाए तो उसे क़बूल करके वहाँ जाना चाहिए, फिर वह चाहे तो खाने में शिरकत करे और चाहे तो न खाए।" (हदीस : मुस्लिम, अहमद)

अलबानी साहब ने हाशिये में लिखा है कि अगर नफ़्ली रोज़ा हो और दावत देनेवाला ज़िद करे और खाने में शरीक न होना उसके लिए दुख की बात हो तो बेहतर यह है कि नफ़्ली रोज़ा तोड़कर खाने में शरीक हो जाए। फ़तावा इब्ने-तैमिया में भी यही लिखा है। नफ़्ली रोज़े को तोड़ देने की इजाज़त हदीस में मौजूद है।

अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद *(सल्ल.)* ने फ़रमाया—

"नफ़्ली रोज़ा रखनेवाला अपने मन का मालिक है, अगर चाहे तो रोज़ा रखे और चाहे तो इफ़्तार करे।"

(हदीस : नसई, हाकिम, बैहक़ी)

नफ़ली रोज़ा अगर तोड़ दिया जाए तो उसकी क़ज़ा वाजिब होगी या नहीं? इस मसले में फ़िक़्ह के मसलकों में मतभेद है। क्योंकि कुछ हदीसों में यह आता है कि रोज़ा तोड़नेवाला अगर चाहे तो क़ज़ा कर ले और कुछ हदीसों में आता है कि नबी *(सल्ल.)* ने क़ज़ा रखने का हुक्म दिया है। शैख़ अलबानी के मुताबिक़ क़ज़ा वाजिब नहीं है। फ़िक़्ह-हनफ़ी में है कि अगर नफ़्ल रोज़ा तोड़ दिया जाए तो उसकी क़ज़ा वाजिब है।

जिस दावत में गुनाह के काम हों, उसमें शरीक होना जाइज़ नहीं

दावते-वलीमा या किसी और दावत में अगर गुनाह का काम हो रहा हो तो उसमें शरीक होना जाइज़ नहीं। अलबत्ता अगर कोई शख़्स इस नीयत से जाए कि गुनाह के काम को बन्द कराने की कोशिश करेगा तो जा सकता है। लेकिन अगर इसमें कामयाबी न मिले तो वापस आ जाए, दावत में शरीक न हो। हज़रत उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने फ़रमाया—

> "जो शख़्स अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है, वह उस दस्तरख़ान पर हरगिज़ न बैठे जिसपर शराब का दौर चल रहा हो।" (हदीस : अहमद, तिर्मिज़ी)

बुज़ुर्गों का अमल भी यही था कि जहाँ पर कोई गुनाह होता वहाँ की दावत क़बूल नहीं करते थे। हज़रत उमर *(रज़ि.)* जब शाम (सीरिया) देश गए तो ईसाइयों के एक बड़े आदमी ने गिरजा (चर्च) में उनकी दावत का इंतिज़ाम किया। उनको और उनके साथियों को खाने पर बुलाया। उसके जवाब में हज़रत उमर *(रज़ि.)* ने कहा कि हम तुम्हारे गिरजाओं में इसलिए दाख़िल नहीं होंगे कि उनमें तस्वीरें हैं।

(हदीस : बैहक़ी)

> "अबू-मसऊद उक़्बा-बिन-अम्र के लिए एक शख़्स ने खाना तैयार किया और उन्हें दावत दी। उन्होंने पूछा क्या घर में तस्वीर है? उसने कहा, हाँ। उन्होंने घर में दाख़िल होने से इनकार किया। जब वह तस्वीर तोड़ दी गई तब वे घर में

दाख़िल हुए।" (हदीस : बैहक़ी)

इमाम औज़ाई ने कहा–

"हम ऐसे वलीमे में शरीक नहीं होते जिसमें ढोल-ताशे और गाने-बजाने के सामान हों।"

(अबुल-हसन अल-हरबी : अल फ़वाइदुल-मुन्तक़ा)

दावत देनेवाले के लिए दुआ

दावत में शिरकत और खाने के बाद दावत देनेवाले के लिए दुआ करना मुस्तहब है। हदीसों में कई तरह की दुआएँ आई हैं और इस सिलसिले में कुछ बहुत ही मुअस्सिर हदीसें रिवायत की गई हैं–

अब्दुल्लाह-बिन-बसर से रिवायत है कि उनके वालिद ने नबी *(सल्ल.)* के लिए खाना तैयार किया और आप *(सल्ल.)* को दावत दी। नबी *(सल्ल.)* ने दावत क़बूल की और खाने से फ़ारिग़ हुए तो यह दुआ की–

अल्लाहुम-मग़्फ़िर लहुम वर-हम-हुम व बारिक लहुम फ़ीमा रज़क़-तहुम।

"ऐ अल्लाह! इन सबको बख़्श दे, इनपर रहम फ़रमा और तूने जो रिज़्क़ इन्हें दिया है उसमें बरकत अता फ़रमा।"

(हदीस : मुसलिम, अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी, नसई)

मिक़दाद-बिन-असवद *(रज़ि.)* से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैं और मेरे दो साथी अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* के पास आए, फिर हम लोगों को तेज़ भूख लगी। हमने लोगों के सामने अपनी ज़रूरत रखी, लेकिन किसी ने हमारी दावत नहीं की। उसके बाद रसूल *(सल्ल.)* हम लोगों को अपने घर ले गए। उस वक़्त आप *(सल्ल.)* के पास चार दूध देनेवाली बकरियाँ थीं। आप *(सल्ल.)* ने मुझसे फ़रमाया, "ऐ मिक़दाद! इन बकरियों का दूध चार हिस्सों में बाँट लिया करना।" मैं उनके दूध को चार हिस्सों में बाँट लिया करता। हर शख़्स अपना हिस्सा पी लेता और नबी *(सल्ल.)* का हिस्सा हम रख दिया करते। एक रात ऐसा इत्तिफ़ाक़ हुआ कि नबी *(सल्ल.)* को आने में देर हो गई। मैंने अपने दिल में कहा कि आप *(सल्ल.)* किसी अनसारी के यहाँ तशरीफ़ ले गए होंगे और वहाँ आप

(सल्ल॰) ने पेटभर खा-पी लिया होगा। मैं इसी तरह दिल में सोचता रहा। यहाँ तक कि मैं उठा और आपके हिस्से का दूध भी पी गया और प्याले को ढाँक दिया। जब मैं दूध पी चुका तो अब इस फ़िक्र ने मुझे घेर लिया कि कहीं ऐसा न हो कि आप *(सल्ल॰)* भूखे आएँ और कुछ न पाएँ। आख़िर मैंने एक ऊनी चादर से अपने को ढाँक लिया। वह इतनी छोटी थी कि सिर ढाँकता तो पाँव निकल जाते, पाँव ढाँकता तो सिर खुल जाता। नींद मुझे किसी तरह नहीं आ रही थी और लगातार यही सोचता रहा कि अगर आप *(सल्ल॰)* भूखे आएँगे तो क्या होगा? मैं इसी हाल में था कि नबी *(सल्ल॰)* तशरीफ़ लाए और इतनी हल्की आवाज़ में सलाम किया कि जागता हुआ आदमी सुन ले और सोनेवाले की नींद न टूटे। आप *(सल्ल॰)* मस्जिद तशरीफ़ ले गए, नमाज़ पढ़ी और वापस आकर प्याला खोला, उसमें कुछ न था। यह देखकर आप *(सल्ल॰)* ने यह दुआ की—

अल्ला-हुम-म अतइम मन अत-अ-मनी वस्क़ि मन सक़ानी।

"ऐ अल्लाह! जो मुझे खिलाए उसे खिला और जो मुझे पिलाए उसे पिला।"

मैंने इस दुआ को ग़नीमत समझा और चादर अपने ऊपर कस ली। छुरी उठाई और बकरियों के पास पहुँचा और उन्हें टटोलकर देखने लगा कि कौन अधिक मोटी है ताकि मैं उसे नबी *(सल्ल॰)* के लिए ज़ब्ह करूँ। लेकिन हुआ यह कि मेरा हाथ जिस बकरी के थन पर पड़ता मैं उसको दूध से भरा हुआ पाता। मैंने वह प्याला उठा लिया जिसमें दूध दूहा जाता था। मैंने दूध दूहा, यहाँ तक कि वह प्याला भर गया। फिर मैं उसे लेकर आप *(सल्ल॰)* की ख़िदमत में पहुँचा। आप *(सल्ल॰)* ने पूछा, "ऐ मिक़दाद! क्या आज रात तुम लोगों ने दूध नहीं पिया है?" मैंने कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल! आप पी लें।" आप *(सल्ल॰)* ने सिर उठाकर मुझे देखा और कहा, "ऐ मिक़दाद! क्या तुमसे कोई ग़लत काम हो गया है, बात क्या है?" मैंने कहा, हुज़ूर आप दूध पी लें तो मैं हक़ीक़त बताऊँगा। आप *(सल्ल॰)* ने पी लिया और पेट भर गया तो फिर मुझे दे दिया और मैं पी गया। जब मैंने देख लिया कि आप *(सल्ल॰)* आसूदा (तृप्त) हो गए तो मुझपर हँसी का दौरा सा पड़ गया। हँसते-हँसते मैं

ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके बाद मैंने पूरा वाक़िआ बताया। आप *(सल्ल.)* ने फ़रमाया, "यह एक बरकत है जो आसमान से नाज़िल हुई है। तुमने पहले क्यों न बताया ताकि मैं अपने दोनों सोए हुए साथियों को भी शरीक कर लेता।" मैंने कहा उस ज़ात की क़सम जिसने आप *(सल्ल.)* को हक़ के साथ भेजा है, जब मुझे और आप *(सल्ल.)* को बरकत मिल गई तो मुझे कुछ फ़िक्र नहीं कि मैंने क्या ग़लती की।

(हदीस : मुसलिम, अहमद, तिर्मिज़ी इब्ने-साद)

इस मुअस्सिर हदीस में वह दुआ, जो नबी *(सल्ल.)* ने की थी, किसी भी दावत देनेवाले के लिए की जा सकती है।

हज़रत अनस *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* अनसार से मुलाक़ात के लिए तशरीफ़ ले जाते थे और जब आप *(सल्ल.)* उनके मुहल्ले में पहुँचते तो अनसार के बच्चे आप *(सल्ल.)* के क़रीब जमा हो जाते। आप *(सल्ल.)* उन्हें सलाम करते, उनके सिरों पर हाथ फेरते और उनके लिए दुआ करते। एक दिन आप *(सल्ल.)* साद-बिन-उबादा के घर पहुँचे और दरवाज़े पर खड़े होकर घर में दाख़िल होने की इजाज़त माँगी। आप *(सल्ल.)* ने फ़रमाया, "अस्सलामु अलैकुम व रह-मतुल्लाह।" साद ने आहिस्ता से कहा, "व अलैकस्सलामु व रह-मतुल्लाह" ताकि आप *(सल्ल.)* न सुन सकें। आप *(सल्ल.)* ने तीन बार सलाम किया और उन्होंने हर सलाम का जवाब दिया लेकिन इतनी आवाज़ में कि आप *(सल्ल.)* सुन न सकें। नबी *(सल्ल.)* का तरीक़ा यह था कि आप *(सल्ल.)* इजाज़त माँगने के लिए तीन बार से अधिक सलाम नहीं करते थे। अगर इजाज़त मिल जाती तो घर में दाख़िल होते वरना वापस हो जाते। चुनांचे आप *(सल्ल.)* वापस होने लगे। उसके बाद साद *(रज़ि.)* घर से निकलकर आप *(सल्ल.)* के पीछे दौड़े, कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल! आप पर मेरे माँ-बाप क़ुरबान! मैंने आप *(सल्ल.)* के हर सलाम का तुरन्त जवाब दिया लेकिन मैंने जान-बूझकर आपको सुनाया नहीं ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सलाम की बरकत हासिल कर लूँ। ऐ अल्लाह के रसूल! आप मेरे घर में तशरीफ़ लाएँ।" आप *(सल्ल.)* उनके यहाँ गए और उन्होंने आपकी ख़िदमत में सूखे अंगूर पेश किए। आप *(सल्ल.)* ने उनको खाया और जब फ़ारिग़ हुए तो यह दुआ दी—

अ-क-ल तआ-मकुमुल-अबरारु व सल्लत अलैकुमुल मला-इ-कतु

व अफ़-त-र इन्द-कुमुस्-साईमून।

"तुम्हारा खाना नेक लोग खाएँ, फ़रिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करें और रोज़ेदार तुम्हारे पास इफ़्तार करें।"

(हदीस : अहमद, तहावी, इब्ने-माजा, बैहक़ी, तबरानी)

इस दुआ में जो टुकड़ा है कि "रोज़ेदार तुम्हारे पास इफ़्तार करें," यह वाक्य भी एक तरह की दुआ है। यानी अल्लाह तुम्हें यह मौक़ा दे और तौफ़ीक़ दे कि रोज़ेदार तुम्हारे दस्तरख़ान पर इफ़्तार करें और तुम्हें उनके रोज़ों का अज्र मिले।

नबी की सुन्नत और इस्लामी शरीअत की मुख़ालिफ़त से बचना ज़रूरी है

शादी के मौक़े पर तरह-तरह की ऐसी रस्में और ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं जिनसे खुल्लम-खुल्ला सुन्नते-नबवी *(सल्ल॰)* और शरीअते-इस्लामी की मुख़ालिफ़त हो रही है। हालाँकि मुसलमानों के लिए इसकी मुख़ालिफ़त से बचना ज़रूरी है। जो लोग सिर्फ़ नाम के मुसलमान हैं उनकी क्या बात, क्योंकि उनके बारें में तो यह भी मालूम नहीं कि उन्होंने 'नबी की सुन्नत' और 'इस्लामी शरीअत' के लफ़्ज़ भी सुने हैं या नहीं? ज़िक्र उन मुसलमानों का है जो जान-बूझकर शरीअत के ख़िलाफ़ रस्मो-रिवाज में फँसे हुए हैं। इस छोटी-सी पुस्तिका में शरीअत के ख़िलाफ़ होनेवाले तमाम कामों की तरफ़ निशानदेही नहीं की जा सकती। कुछ बातों की तरफ़ इशारा किया जा रहा है—

1. सबसे बुरी चीज़ जो पढ़े-लिखे मुसलमानों में भी देखने को मिल रही है वह तिलक और दहेज है, जो समाज को तबाह कर देनेवाला है। इस बुरे रिवाज की वजह से हज़ारों लड़कियाँ शादी के बिना घरों में बिन ब्याही बैठी हैं और इससे जो ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं उन्हें बयान करने की ज़रूरत नहीं।
2. ढोल-ताशे, गाने-बजाने और आतिशबाज़ी का रिवाज भी कम नहीं हुआ है और अब अश्लील गानों के रिकार्ड और लाउड-स्पीकर के बेजा इस्तेमाल ने इसको एक अज़ाब की शक्ल दे दी है।

3. मँहगे और शानदार खानों का इन्तिज़ाम और बड़े पैमाने पर मेहमानदारी भी एक तबाही बन गई है। ऊपर यह बयान किया जा चुका है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* के ज़माने में सहाबा किराम *(रज़ि.)* अपनी शादियाँ कर लेते थे और आप *(सल्ल.)* को ख़बर भी नहीं होती थी। बाद में मालूम होता था कि फ़लाँ सहाबी ने शादी कर ली। इससे पता चलता है कि नबी *(सल्ल.)* को भी शादी की ख़बर या दावत देना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। यह बात भी सामने रहनी चाहिए कि उस समय मदीना कोई बड़ा शहर नहीं था, और आज हालत यह है कि दावत के लिए शानदार कार्ड और लिफ़ाफ़े छपवाए जाते हैं जिनपर अच्छी-ख़ासी रक़म ख़र्च हो जाती है।

4. घरों की सजावट में तस्वीरों का बे-तहाशा इस्तेमाल हो रहा है और निकाह की महफ़िल में नौशाह (दुल्हा) और दूसरे लोगों के फ़ोटो खींचना भी एक फ़ैशन बनता जा रहा है, हालाँकि हदीसों में जानदारों की तस्वीर खींचना मना है। तस्वीर-कशी सिर्फ़ मर्दों ही की नहीं होती, बल्कि घरों के अन्दर औरतों के फ़ोटो खींचने का रिवाज भी बढ़ता जा रहा है।

5. निकाह के मौक़े पर या उससे पहले दुल्हा मियाँ को सोने की अँगूठी देने का रिवाज भी है। हालाँकि मर्दों के लिए सोने की अँगूठी पहनना हराम है।

बीवी के साथ अच्छा सुलूक वाजिब है

रहन-सहन में बीवी के साथ शरीफ़ाना बर्ताव और अच्छा सुलूक वाजिब है। उसपर ज़ुल्म और उसके साथ ज़्यादती हराम है। औरतें चूँकि मर्दों के मुक़ाबले में क़मज़ोर होती हैं, इसलिए अगर जाइज़ा लिया जाए तो आज भी एक बड़ी तादाद में औरतें ही मज़लूम साबित होंगी। यह बात सही है कि कुछ औरतें भी आपने शौहरों के साथ ज़्यादती करती हैं लेकिन उनका प्रतिशत बहुत क़म है। अपनी बीवियों पर ज़ुल्म सिर्फ़ जाहिल और गँवार लोग ही नहीं करते, बल्कि वे मुसलमान भी करते हैं जो समाज में दीनदार और मुहज़्ज़ब माने जाते हैं।

बीवियों के साथ अच्छा सुलूक इतना ज़्यादा अहम है कि नबी *(सल्ल.)* ने हिज्जतुलविदाअ के ख़ुतबे में भी इसकी ताकीद की थी। उसमें

आप *(सल्ल.)* ने फ़रमाया था—

"ऐ लोगो! सुन लो, औरतों के साथ नेकी और भलाई का सुलूक करो, क्योंकि औरतें तुम्हारे पास क़ैदी हैं। सुन लो कि तुम्हारी बीवियों पर तुम्हारा हक़ है और तुमपर तुम्हारी बीवियों का हक़ है। उनपर तुम्हारा हक़ यह है कि वे तुम्हारे बिस्तरों पर किसी ऐसे को बैठने न दें जिन्हें तुम नापसन्द करते हो और तुम्हारे घरों में किसी ऐसे को न आने दें जिन्हें तुम नापसन्द करते हो। ख़बरदार! और तुम्हारी बीवियों का तुमपर यह हक़ है कि उनके खाने कपड़े में उनके साथ अच्छा सुलूक करो।" (हदीस : तिर्मिज़ी, इब्ने-माजा, अहमद)

अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने फ़रमाया—

"तुममें से अच्छा शख़्स वह है जो अपने घरवालों के लिए अच्छा हो, और मैं अपने घरवालों के लिए तुम सब में अच्छा हूँ।" (हदीस : तहावी, तिर्मिज़ी, अहमद, दारमी)

अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने फ़रमाया—

"मोमिनों में ईमान के लिहाज़ से सबसे कामिल-तरीन मोमिन वह है जो अच्छे सुलूक के लिहाज़ से उन सबमें अच्छा हो और उनमें सबसे अच्छे लोग वे हैं जो अपनी बीवियों के लिए अच्छे हैं।" (हदीस : तिर्मिज़ी, अहमद)

अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने फ़रमाया—

"ईमानवालों में ईमान के लिहाज़ से सबसे मुकम्मल ईमानवाला वह है जो अच्छे अख़्लाक़ के लिहाज़ से उन सबमें बेहतर हो, और उनमें बेहतर लोग वे हैं जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर हों।" (हदीस : तिर्मिज़ी, अहमद)

अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने फ़रमाया—

"अद्ल व इनसाफ़ करनेवाले क़ियामत के दिन नूर के मिम्बरों पर होंगे। ये वे लोग हैं जो अपनी हुकूमत और अपने फ़ैसलों में और अपनी बीवियों के साथ और हर उस चीज़ में जिसका इन्तिज़ाम, ज़िम्मेदारी और निगरानी उनके सुपुर्द हो, इनसाफ़ करते हैं।" (हदीस)

बीवियों के साथ अच्छे सुलूक में भी हमारे लिए सबसे अच्छा नमूना (आदर्श) अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद *(सल्ल.)* ही हैं। आप *(सल्ल.)* ने जिस तरह अपनी पाक बीवियों के साथ ज़िन्दगी गुज़ारी, उसके ज़िक्र से हदीस और सीरत की किताबें भरी हुई हैं। हज़रत आइशा *(रज़ि.)* चूँकि तमाम बीवियाँ में सबसे कम उम्र थीं, इसलिए उनके साथ नबी *(सल्ल.)* के हमदर्दाना सुलूक के वाक़िआत की ज़्यादा रिवायतें मिलती हैं। इससे उलमा ने यह साबित किया है कि अगर किसी की बीवी कमसिन और ना-तजुर्बेकार हो तो शौहर को उसकी तरबियत और उसके साथ हमदर्दाना सुलूक रखना चाहिए क्योंकि मुमकिन है कि कमसिन होने और ना-तजुर्बेकारी की वजह से उसकी कुछ बातें गुस्सा दिलानेवाली हों।

कुछ नसीहतें

आख़िर में मियाँ-बीवी के लिए कुछ नसीहतें मुनासिब होंगी—

1. दोनों को पूरी ख़ुशदिली और फ़रमाँबरदारी के जज़्बे के साथ उन हुक्मों की पैरवी करनी चाहिए जो क़ुरआन और सुन्नत से साबित हों। अल्लाह तआला ने फ़रमाया है—

   "जब अल्लाह और उसके रसूल किसी मामले का फ़ैसला कर दें तो फिर किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को उनके अपने मामले में इख़्तियार बाक़ी नहीं रहता। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी करे वह खुली हुई गुमराही में पड़ गया।" (क़ुरआन, 33:36)

2. अल्लाह तआला ने शौहर और बीवी पर जो फ़राइज़ व हुक़ूक़ लागू किए हैं, दोनों को उनपर अमल करना चाहिए। मिसाल के तौर पर बीवी अपने शौहर के तमाम हुक़ूक़ में बराबरी की माँग न करे। क्योंकि अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर एक दरजा फ़ज़ीलत दी है और उनको औरतों का क़व्वाम (संरक्षक एवं मुखिया) बनाया है। उसी तरह शौहर अपनी बीवी से किसी ऐसी चीज़ की माँग न करे जो शरई तौर पर जाइज़ न हो और न उसे हक़ीर (नीच) समझे।

अगर दोनों अल्लाह व रसूल *(सल्ल.)* के हुक्मों पर अमल करते हुए एक-दूसरे के हुक़ूक़ अदा करते रहें तो अल्लाह तआला उन्हें हयाते-तैयबा यानी अच्छी ज़िन्दगी से नवाज़ेगा, जैसा कि उसने वादा किया है—

"जो शख़्स भी नेक अमल करेगा, चाहे वह मर्द हो या औरत बशर्ते कि हो वह मोमिन, हम उसे दुनिया में पाकीज़ा ज़िन्दगी बसर कराएँगे और आख़िरत में ऐसे लोगों को उनके अज्र उनके बेहतरीन आमाल के मुताबिक़ बख़्शेंगे।"

(क़ुरआन, 16 : 97)

3. बीवी पर ख़ास तौर से वाजिब है कि अपनी ताक़त और सलाहियत की हद में रहते हुए भले कामों में अपने शौहर की इताअत करे। इसकी ताईद व ताकीद में बहुत सी सही हदीसें रिवायत की जाती हैं—

"बीवी के लिए जाइज़ नहीं है कि जब शौहर मौजूद हो तो उसकी इजाज़त के बिना नफ़ली रोज़ा रखे और न यह जाइज़ है कि उसके घर में उसकी इजाज़त के बिना किसी को आने दे।" (हदीस : बुख़ारी, मुसलिम, अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी)

"शौहर जब बीवी को बिस्तर पर बुलाए और वह न आए फिर शौहर उसपर ग़ुस्से के साथ रात गुज़ारे तो फ़रिश्ते उस औरत पर लानत करते रहेंगे, यहाँ तक कि सुबह हो जाए।"

और एक रिवायत में है, "यहाँ तक कि शौहर उससे ख़ुश हो जाए।" (हदीस : बुख़ारी, मुसलिम, अबू-दाऊद)

लेकिन यह बात तब होगी जब बीवी बिना किसी मजबूरी के ऐसा करे। लेकिन अगर कोई शरई उज़्र (मजबूरी) मौजूद हो, मिसाल के तौर पर हैज़ या कोई और जिस्मानी मजबूरी मौजूद हो, तो उसे अपनी मजबूरी बता देनी चाहिए। इसके बावजूद अगर शौहर ज़िद करे तो वह क़ुसूरवार होगा—

"उस ज़ात (हस्ती) की क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है! औरत अपने रब का हक़ उस वक़्त तक अदा न कर

सकेगी जब तक अपने शौहर का हक़ अदा न करे, और अगर शौहर उसे ऊँट के पालान पर बुलाए तो उसे इनकार नहीं करना चाहिए।''

(हदीस : इब्ने-माजा, अहमद, इब्ने-हिबान, हाकिम)

''औरत जब पाँचों वक़्तों की नमाज़ अदा करे, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त और शौहर की इताअत करे तो जन्नत में जिस दरवाज़े से चाहे दाख़िल हो जाए।''

(हदीस : अहमद, तबरानी, इब्ने-हिबान)

एक मर्द और एक औरत के मिलाप से एक ख़ानदान बनता है और कई ख़ानदानों को मिलाकर एक समाज बनता है। अगर हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत इस्लाम की तालीम पर सच्चे दिल से अमल करने लगे तो आज भी वह इस्लामी समाज वुजूद में आ सकता है जो हज़रत मुहम्मद *(सल्ल॰)* के अहदे-मुबारक में वुजूद में आया था।

☆ ☆ ☆